संख्या-15/2016/796/71-आयुष-2-2016-11(बी)/2016

प्रेषक,

श्याम प्रकाश नारायण,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
होम्योपैथी, उ0प्र0
लखनऊ।

आयुष अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 20 अप्रैल, 2016

विषय- वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-34 में होम्योपैथिक विभाग के आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत् आपके पत्रांक-नि0हो0//1073-बी/82/16-17/3944, दिनांक 06-4-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-34 में होम्योपैथिक विभाग के आयोयजनेत्तर पक्ष (राजस्व लेखा) में प्राविधानित धनराशि कुल रू0 3333178 हजार में से रू0 3333078 हजार (रूपये तीन अरब तैतीस करोड तीस लाख अठत्तर हजार मात्र) को संलग्नक- 1,2,3,4 एवं 5 में वर्णित लेखा शीर्षक व मानक मदों में मदवार विभाजन के अनुसार आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1- उक्त स्वीकृति धनराशि का व्यय केवल चालू मदों पर ही किया जायेगा तथा किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नई योजनाओं/मदों पर नही किया जायेगा।
2- धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व, उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका/ नियमों/संगत शासनादेशों, स्टोर परचेज नियमों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत् राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति सक्षम स्तर से अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।
3- अनुरक्षण मद में प्राविधानित धनराशि का व्यय शासन से अनुमति प्राप्त कर किया जायेगा।
4- पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत प्राविधानित धनराशि का यथासमय प्रस्ताव विभाग से प्राप्त होने पर शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
5- स्वीकृति धनराशि का कोषागार से आहरण विधमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता के आधार पर समानुपातिक रूप से किया जाय तथा जिन मदों में धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्राविधानित है, उन्ही मदों में व्यय किया जाय। धनराशि का एक मद से दूसरे मद में व्ययार्वतन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

6- स्वीकृत धनराशि आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अधीनस्थ अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय तथा आवंटन आदेश की प्रति समस्त अधिकारियों/शासन को उपलब्ध करायी जाय।

7- उक्त धनराशि के भुगतान/आवंटन के सम्बन्ध में वित्त् विभाग के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 मे उल्लिखित शर्तो/निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8- स्वीकृत धनराशि की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति विवरण निधा्रित प्रपत्र पर माह 10 तारीख तक शासन/वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध करा दी जाय ।

2- कृपया उपरोक्त निर्देशों का अपने तथा अधीनस्थ स्तरों पर कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय

(श्याम प्रकाश नारायण)
अनु सचिव

संख्या:- 15/2016/796/(1)/71-आयुष-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एक हकदारी द्वितीय) उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय) उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0 (द्वारा निदेशक, होम्योपैथी)।
5- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी होम्योपैथी निदेशालय।
6- चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग 1/2
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(श्याम प्रकाश नारायण)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या- 15/2016/796/71-आयुष-2-2016-11(बी)/2016, दिनांक 20 अप्रैल, 2016 का संलग्नक-1

(धनराशि हजार रूपयें में)

मानक मदें	अनुदान संख्या-34 लेखाशीर्षक-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-आयोजनेत्तर-02-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-अन्य चिकित्सा पद्धतियॉ-102 होम्योपैथी-03 निदेशन तथा प्रशासन-0301-होम्योपैथिक निदेशालय	
1	2	3
01- वेतन	12094	12094
02- मजदूरी	10	10
03-महॅगाई भत्ता	16448	16448
04-यात्रा भत्ता	50	50
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	30	30
06-अन्य भत्ता	1409	1409
07-मानदेय	20	20
08-कार्यालय व्यय	440	440
11-लेखन सामग्री/फार्मो की छपाई	300	300
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	165	165
13-टेलीफोन पर व्यय	70	70
15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1000	1000
16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवायों के लिए भुगतान	220	220
42-अन्य व्यय	1	1
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	40	40
45-अवकाश यात्रा	30	30
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफटवेयर का क्रय	220	220
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्संबधी स्टेशनरी का क्रय	440	440
49-चिकित्सा व्यय	400	400
51-वर्दी व्यय	25	25
कुल योग-	**33412**	**33412**

(श्याम प्रकाश नारायण)

अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या- 15/2016/796/71-आयुष-2-2016-11(बी)/2016, दिनांक 20 अप्रैल, 2016 का संलग्नक-2

(धनराशि हजार रूपयें में)

मानक मदें	अनुदान संख्या-34 लेखाशीर्षक-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-आयोजनेत्तर-02-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-अन्य चिकित्सा पद्धतियॉ-102 होम्योपैथी-04 अस्पताल और औषधालय-0401-होम्योपैथिक चिकित्सालय	
1	**2**	**3**
01- वेतन	161999	161999
03-महॅगाई भत्ता	220319	220319
04-यात्रा भत्ता	1056	1056
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	400	400
06-अन्य भत्ता	18873	18873
08-कार्यालय व्यय	2200	2200
09-विधुत देय	1200	1200
10-जलकर/जलप्रभार	10	10
11-लेखन सामग्री/फार्मो की छपाई	990	990
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	880	880
13-टेलीफोन पर व्यय	400	400
16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवायों के लिए भुगतान	100	100
17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	525	525
29-अनुरक्षण	660	660
39-औषधि तथा रसायन	7000	7000
40-औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा	642	642
42-अन्य व्यय	1500	1500
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	90	90
45-अवकाश यात्रा	90	90
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्संबधी स्टेशनरी का क्रय	1320	1320
49-चिकित्सा व्यय	2500	2500
51-वर्दी व्यय	336	336
कुल योग-	**423090**	**423090**

(श्याम प्रकाश नारायण)

अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या- 15/2016/796/71-आयुष-2-2016-11(बी)/2016, दिनांक 20 अप्रैल, 2016 का संलग्नक-3

(धनराशि हजार रूपयें में)

मानक मदें	अनुदान संख्या-34 लेखाशीर्षक-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-आयोजनेत्तर-04ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-अन्य चिकित्सा पद्धतियॉ-102 होम्योपैथी-03- अस्पताल और औषधालय-0301-होम्योपैथिक चिकित्सालय	
1	**2**	**3**
01- वेतन	1028726	1028726
03-महॅगाई भत्ता	1399067	1399067
04-यात्रा भत्ता	7270	7270
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1150	1150
06-अन्य भत्ता	102872	102872
08-कार्यालय व्यय	4950	4950
09-विधुत देय	1000	1000
10-जलकर/जलप्रभार	30	30
11-लेखन सामग्री/फार्मो की छपाई	3850	3850
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2530	2530
16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवायों के लिए भुगतान	50	50
17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	1976	1976
29-अनुरक्षण	1100	1100
39-औषधि तथा रसायन	29080	29080
40-औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा	6105	6105
42-अन्य व्यय	7500	7500
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	100	100
45-अवकाश यात्रा	200	200
49-चिकित्सा व्यय	9000	9000
51-वर्दी व्यय	200	200
कुल योग-	**2606756**	**2606756**

(श्याम प्रकाश नारायण)

अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-15/2016/796/71-आयुष-2-2016-11(बी)/2016, दिनांक 20 अप्रैल, 2016 का संलग्नक-4

(धनराशि हजार रूपयें में)

मानक मदें	अनुदान संख्या-34 लेखाशीर्षक-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-आयोजनेत्तर-05-चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण शहरी तथा अनुसंधान -102- होम्योपैथी-03 शिक्षा-0301-राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज और अस्पताल	
1	**2**	**3**
01- वेतन	80207	80207
02- मजदूरी	1000	1000
03-महॅगाई भत्ता	109080	109080
04-यात्रा भत्ता	300	300
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	150	150
06-अन्य भत्ता	9344	9344
07-मानदेय	2700	2700
08-कार्यालय व्यय	550	550
09- विधुत देय	12000	12000
10-जलकर/जल प्रभार	150	150
11-लेखन सामग्री/फार्मो की छपाई	550	550
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	550	550
13-टेलीफोन पर व्यय	100	100
16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवायों के लिए भुगतान	110	110
17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	10000	10000
21-छात्रवृत्तियॉ/छात्र वेतन	36000	36000
29-अनुरक्षण	880	880
39-औषधि तथा रसायन	1400	1400
40-औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा	440	440
42-अन्य व्यय	2200	2200
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	45	45
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	55	55
45-अवकाश यात्रा	90	90
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफटवेयर का क्रय	385	385
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्संबधी स्टेशनरी का क्रय	385	385
49-चिकित्सा व्यय	1000	1000
51-वर्दी व्यय	50	50
कुल योग-	**269720**	**269720**

(श्याम प्रकाश नारायण)

अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-15/2016/796/71-आयुष-2-2016-11(बी)/2016, दिनांक 20 अप्रैल, 2016 का संलग्नक-5

(धनराशि हजार रूपयें में)

मानक मदें	अनुदान संख्या-34 लेखाशीर्षक-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-आयोजनेत्तर-02-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-अन्य चिकित्सा पद्धतियॉ-102-होम्योपैथी-05- अन्य व्यय (सहायक अनुदान) 0506-होम्योपैथिक चिकित्सा बोर्ड के अनुरक्षण के लिए अनुदान		
	कुल प्राविधान	कुल प्राविधान के सापेक्ष जारी स्वीकृति	अभ्युक्ति
1	**2**	**3**	**4**
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	200	**100**	वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि का 50 प्रतिशत स्वीकृति हेतु निर्गत् की जा रही है।
कुल योग-	**200**	**100**	

(श्याम प्रकाश नारायण)

अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।